<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-115/2016/टोंक (2016/00100)

1. रामधन पुत्र रिद्धकरण उर्फ घीसा, जाति जाट, नि0 नगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामकरण, जाति जाट, निवासी नगर, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

<u>**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा दिनांक 24.5.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 525/2016.**</u>

<u>**उपस्थितः-**</u>

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

<u>निर्णय</u>

दिनांक :- 5.3.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 24.5.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा, लोक अदालत आवड़ा के समक्ष दिनांक 24.5.2016 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माधोगढ़, पटवार हल्का तुनेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नगर, तहसील मालपुरा में स्थित आराजी जमाबंदी संवत् 2070से 2073 के खाता संख्या 60 के खसरा

संख्या 51/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 96 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 98 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 99 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जो जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में रामकिशन पुत्र रिद्धकरण जाति जाट, निवासी नगर के नाम से अंकित चली आ रही है जो गलत है जबकि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के वास्तविक खातेदार का नाम रामकिशन पुत्र रिद्धकरण नहीं होकर रामकिशन पुत्र रामकरण है इसलिये रामकिशन के पिता रिद्धकरण का नाम सहवन से अंकित हो गया है । अतः राजस्व जमाबंदी में रामकिशन के पिता का नाम रिद्धकरण के बजाय रामकरण अंकित किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 24.5.2016 को निर्णय पारित कर रामकिशन पुत्र रिद्धकरण के बजाय रामकिशन पुत्र रामकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना एवं साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.5.2016 को पारित किया है जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित होते है क्योंकि अपीलाधीन आदेश में अंकित आराजियात प्रार्थी की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा आराजियात है जिस पर प्रार्थी वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार होने से उसे सुना जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.52016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी निर्णय दिनांक को नही हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब दिनांक 5.9.2016 को विपक्षी ने गांव में आकर धमकी दी कि प्रार्थी के कब्जेशुदा आराजी उसके नाम दर्ज हो गई है और वह उसका बैचान करेगें, तब प्रार्थी ने अभिभाषक से संपर्क कर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधी0 न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0भू-राजस्व

अधि0 1956 का प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना सुने जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट के पिता रिद्धकरण उर्फ घीसा ने अपने पुत्र रामधन पुत्र रिद्धकरण के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी परन्तु उस समय सहवन से रामधन पुत्र रिद्धकरण के बजाय रामकिशन पुत्र रिद्धकरण का नाम विक्रय पत्र में अंकित हो गया जिससे विक्रय पत्र के आधार पर उसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ तो रामश्किान पुत्र रिद्धकरण जाति जाट निवासी नगर अंकित हो गया जबकि रामकिशन पुत्र रिद्धकरण नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नगर में नहीं है । राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज में रामधन पुत्र रिद्धकरण उर्फ घीसा जाति जाट, निवासी नगर अंकित है और अपीलांट के नाम जो अलग से आराजी है उनमें भी रामधन पुत्र रिद्धकरण का ही इंद्राज है । अपीलांट विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिन्हें सुना जाना आवश्यक था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष ही प्रकरण में अंकित आराजियात बाबत् वर्तमान अपीलांट रामधन पुत्र रिद्धकरण उर्फ घीसा ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत कर रखा है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि उक्त जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में प्रार्थी का नाम सहवन से रामधन के बजाय रामकिशन चला आ रहा है जिसको दुरूस्त किया जावे । इस बाबत् प्रकरण संख्या 457/2015 उनवानी रामधन बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 ने भी उपस्थित होकर दिनांक 20.5. 2016 को जवाब प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 को उक्त प्रकरण की संपूर्ण जानकारी थी परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 ने लोक अदालत आवड़ा में दिनांक 24.5.2016 को वर्तमान अपीलांट को मुगालते में रखकर एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर तथ्य छिपाकर, अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.5.2016 पारित करवाया है जो निरस्तनीय है। रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलाधीन निर्णय की पालना में नामांतकरण संख्या 452 दिनांक 10.6.2016 को स्वीकृत करवा लिया है जिससे वर्तमान में उक्त आराजियत का राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 के नाम अंकित हो गया है तथा उक्त गलत अंकन का फायदा उठाकर रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द करने व बैचान करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 24. 5.2016 को अपास्त किया जावे । xx

6- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 रामकिशन के पिता का नाम रामकरण जाति जाट है लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र रिद्धकरण दर्ज कर दिया गया था जबकि गांव में रामकिशन पुत्र रिद्धकरण नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नही है । इस संबंध में रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के

समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रतियां पेश की है जिनमें रामकिशन पुत्र रामकरण अंकित है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं होने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील विलंब से पेश की है तथा विलंब के भी संतोषप्रद एवं उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 पार्ट–1 पेज 613, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 19, आर0आर0टी0 2007 पार्ट–2 पेज 939, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 1079 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है क्योंकि अपीलांट ने विवादित आराजियात अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय किया है तथा राजस्व रिकार्ड में काबिज काश्तकार दर्ज है इसलिये अपीलांट को सुना जाना आवश्यक था, इसके बावजूद अधी0न्याया0 में रेस्पो0 संख्या 1 ने तथ्य छिपाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जिससे अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रकट होता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.5.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8- प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है क्योंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे जिससे उन्हें अपीलाधीन निर्णय की प्रारंभ से जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट के पिता ने ग्राम माधोगढ़ के खाता संख्या 60 के कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की थी किन्तु सहवन से विक्रय पत्र में रामधन पुत्र रिद्धकरण के बजाय रामकिशन पुत्र रिद्धकरण दर्ज हो गया जिससे राजस्व रिकार्ड में भी रामधन पुत्र रिद्धकरण के बजाय रामकिशन पुत्र रिद्धकरण दर्ज किया गया है । इस संबंध में जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के

अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 60 की विवादित आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा रामधन पुत्र रिद्धकरण के नाम से दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त नाम की दुरूस्ती हेतु अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 457/2015 धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 का प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी ने रेस्पो0 संख्या 1 को उक्त प्रकरण में पक्षकार कायम किया है तथा उक्त प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब भी प्रस्तुत किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 457/2015 के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजियात के संबंध में एक अन्य प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष दौराने लोक अदालत आवड़ा में प्रस्तुत कर अपीलांट जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार है, काश्तकार को पक्षकार बनाये बिना तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य छिपाकर एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के आदेश के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने भी प्रस्तुत प्रकरण में रिकार्डेड खातेदार, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, को पक्षकार कायम किये बिना तथा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये आनन–फानन में लोक अदालत में प्रकरण को निर्णित किया है जो विधिक प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है । अधी0न्याया0 को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संपूर्ण तथ्यों की विस्तृत जांच करके ही निर्णय पारित करना चाहिये था । चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं थे जिससे वे अपना पक्ष एवं दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे तथा इसी आराजियात के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भी विचाराधीन है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 भी पक्षकार है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2016 विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 24.5.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 115/2016 (2016/00100) बउनवानी रामधन बनाम रामकिशन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 525/2016 में पारित आदेश दिनांक 24.5.2016 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजियात के संबंध में

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 457/2015 अंतर्गत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0भूराजस्व अधि0 एवं रेस्पो0 के प्रकरण को सम्मिलित/कन्सोलिडेट कर, पक्षकारान द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में दोनो पक्षकारान के विवादित भूमि के विक्रय पत्र, अन्य भूमि के राजस्व रिकार्ड, राशन कार्ड, पंचायत/विद्यानसभा मतदाता सूचियों, विद्यालय आदि के अभिलेख का अवलोकन कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 5.3.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर